

	<p style="text-align: center;">भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE कार्यालय प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE): JODHPUR मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 HQRS.: N.C.R. BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005 (TECHNICAL CELL) (तकनीकी शाखा)</p>	 <p style="text-align: center;">सत्यमेव जयते</p>
---	---	---

दिनांक: 18.12.2024

स्थायी आदेश क्रमांक 01/2024
STANDING ORDER NO.01/2024

विषय: सी आर सी एल और अन्य राजस्व प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट मेमो का उपयोग करके नमूने अग्रेषित करने के संबंध में।

Subject: Forwarding samples using electronic Test Memo to CRCL and other Revenue Laboratories-reg.

सभी अधिकारियों और सभी संबंधितों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर निदेशक सी आर सी एल से प्राप्त पत्र दिनांक 02.12.2024 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all the Officers and all concerned is invited to the letter dated 02.12.2024 received from the Director CRCL on above mentioned subject.

2. कृपया बोर्ड के निर्देश संख्या 14/2021-सीमा शुल्क दिनांक 21.06.2021 (एफ. संख्या 401/243/2016-सीमा शुल्क III) देखें, जो सीआरसीएल और अन्य राजस्व प्रयोगशालाओं को नमूना परीक्षण के लिए ऑनलाइन परीक्षण मेमो अग्रेषित करने के लिए सीआरसीएल मॉड्यूल के उपयोग पर जोर देता है। हालाँकि, 26.11.2021 को सीआरसीएल, नई दिल्ली में मुख्य आयुक्त, दिल्ली (निवारक) क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित तीसरी निरीक्षण समिति की बैठक में, राजस्व प्रयोगशालाओं की मासिक रिपोर्टों/विवरणों से यह देखा गया कि सभी नमूने सीआरसीएल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षण मेमो के साथ राजस्व प्रयोगशालाओं को नहीं भेजे जा रहे हैं।

2. Please refer to the Board's Instruction No.14/2021-Customs dated 21.06.2021 (F. No. 401/243/2016-Cus III), which emphasizes the use of CRCL module for forwarding test memos for sample testing to CRCL and other Revenue Laboratories. However, In the third Oversight Committee Meeting held on 26.11.2021 at CRCL, New Delhi, under the Chairmanship of the Chief Commissioner, Delhi (Preventive) Zone, it was observed from the monthly reports/statements of the Revenue Laboratories that not all samples are being forwarded to the Revenue Laboratories with online test memos through the CRCL module.

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी आयात नमूने सीआरसीएल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षण मेमो के साथ प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त, कृपया सीआरसीएल और अन्य राजस्व प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों के परीक्षण के संबंध में

दिशानिर्देशों के लिए बोर्ड परिपत्र संख्या 46/2020-सीमा शुल्क दिनांक 15.10.2021 देखें। **कृपया ध्यान दें कि 31.12.2024 के बाद, राजस्व प्रयोगशालाएँ केवल ऑनलाइन परीक्षण मेमो ही स्वीकार करेंगी।** ऐसे मामलों में जहां ऑनलाइन परीक्षण मेमो तैयार नहीं किया जा सकता है, नमूने उचित कारणों के साथ अतिरिक्त / संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से अग्रेषित किए जा सकते हैं।

3. In view of the above, it is directed to ensure that all import samples are sent to the laboratories along with online test memos via the CRCL module. Additionally, please refer to Board Circular No. 46/2020-Customs dated 15.10.2021 for guidelines regarding the testing of samples by CRCL and other Revenue Laboratories. **Please note that after 31.12.2024, the Revenue Laboratories will only accept online test memos.** In cases where online test memos cannot be generated, samples may be forwarded with the approval of the Additional/Joint Commissioner, along with appropriate reasons.

4. सभी उप /सहायक आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को स्थायी आदेश में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

4. All DCs/ ACs and other concerned Officers are directed to comply with the directions as mentioned in the Standing Order.

(सुग्रीव मीना)

प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क

To,

1. The Chief Commissioner of Customs (Prev.) Delhi Zone for information.
2. All Additional/ Joint Commissioner of Customs (Prev.) Jodhpur (HQ at Jaipur) for information and further guidance to the ports under their Jurisdiction.
3. All Deputy/ Assistant Commissioner of Customs (Prev.) Jodhpur (HQ at Jaipur) for information and necessary compliance.
4. The Assistant Commissioner (Systems) for uploading on website immediately.
5. Notice Board